प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषयः- आंकाक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 02 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 143.62 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- IT/83/आंकाक्षी नगर योजना, दिनांक 27.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 02 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1,43,62,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-I/1049830/2025, दिनांक 06.08.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रुपये सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में रू0 110.8315 करोड (रूपये एक सौ दस करोड तेरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किशत के रूप में धनराशि रू0 55.4181 करोड (रूपये पचपन करोड इकतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 100.00 करोड (रुपये सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि कुल रू0 1,43,62,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान

करती हैं:-

| क0सं0 | जिला | नगर पंचायत | कार्य का नाम | वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में) जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित | प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि (लाख में) | निविदा की धनराशि (लाख में) | द्वितीय किश्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-6) | 9 |
| 1 | मऊ | अमिला | 1-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 05 मु० अब्दुल कलाम नगर में प्राथमिक विद्यालय के पश्चिमी छोर से विद्यालय के गेट तक इण्टरलाकिंग का कार्य।<br>2-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 05 मु० अब्दुल कलाम नगर में विद्यालय के गेट से विसमिल्ला का मकान के आगे इंण्टरलाकिंग रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली पटिया का कार्य।<br>3-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 06 पं0 दीनदयाल नगर में विद्यालय के पास (काली मन्दिर के सामने) से पूलिया तक इण्टरलाकिंग का कार्य।<br>4-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 06 मु० पं० दीनदयाल नगर में कम्पोजिट विद्यालय | 98.80 | 49.40 | 97.53 | 48.13 | निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 48.13 लाख द्वितीय किश्त में देय है। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सरया के प्राइमरी स्कूल के ग्राउण्ड में इण्टरलाकिंग का कार्य।<br>5-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 08 मु० झारखण्डे नगर में नव निर्मित आंगन वाड़ी से पीच रोड तक इण्टरलाकिंग का कार्य।<br>6-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 05 मु० अब्दुल कलाम नगर में प्राथमिक विद्यालय अब्दुल कलाम नगर के सामने से नेयाज के मकान के आगे तक 07 मीटर आक्टोंगल पोल 90 वॉट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य।<br>7-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 06 मु० पं० दीनदयाल नगर में पुलिया से कम्पोजिट विद्यालय सरया तक 7 मीटर आक्टोंगल पोल 90 वॉट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य।<br>8-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 07 मु० दह्वरी शिवनगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय चुम्मानार के गेट से मनेरोड तक 7 मीटर आक्टोंगल पोल 90 वॉट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य। | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 13 मु० बद्री नगर में मेनरोड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से इण्टर कालेज के आगे तक 7 मीटर आक्टोगल पोल 90 वॉट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य।<br>10-आकांक्षी नगर योजना से वार्ड नं0 14 मु० पटेल नगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खनिगह के गेट से मनेरोड तक 7 मीटर आक्टोगल पोल 90 वॉट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य। | | | | | |
| 2 | फर्रुखाबाद | नवाबगंज | 1-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 06 सलेमपुर में सलेमपुर रोड से प्राईमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>2-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 18 जाफर नगर में मैन रोड से सरकारी जूनियर स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>3-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 16 किदवई नगर में मैन रोड स्कूल से मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>4-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 18 किदवई नगर में | 195.08 | 97.54 | 193.03 | 95.49 | निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 95.49 लाख द्वितीय किश्त में देय है। |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | जाफर नगर से जूनियर स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>5-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 10 सिरमौरा में मैन रोड से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>6-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 08 शास्त्री नगर में कैलाश के घर से कल्याण मण्ड्पम (बारात घर) तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>7-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 07 रानी अवन्तीबाई नगर में गौशाला से एम.आर.एफ. तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।<br>8-नगर पंचायत नवाबगंज में थाने के पास हाई मास्ट लाईट (170-120 वॉट) का अधिष्ठापन का कार्य।<br>9-नगर पंचायत नवाबगंज में रामलीला मैदान में हाई मास्ट लाईट (170-120 वॉट) का अधिष्ठापन का कार्य।<br>10-नगर पंचायत नवाबगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हाई मास्ट लाईट (170-120 वॉट) का अधिष्ठापन | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | का कार्य।<br>11-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 0 3 अब्दुल कलाम आजाद नगर से उपनेश के घर से स्कूल तक सी0सी0 रोड व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य।<br>12-नगर पंचायत नवाबगंज वार्ड नं0 1 4 गांधी नगर में मंझला रोड से मन्दिर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।<br>13-नगर पंचायत नवाबगंज के चौराहों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापन कार्य | | | | | |
| कुल धनराशि (लाख में) | | | | 293.88 | 146.94 | 290.56 | 143.62 | |

(रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र)

(1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

( 2 )इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी ।

(4) धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

(6) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय-1 2 के

प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए अगली किश्त की मांग प्रेषित की जायेगी।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।

(14) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।

(16) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(17) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(18) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(19) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोसमयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) इस शासनादेश में वित विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित विभाग को दी जाय।

(21) इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्जज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज़/2021-ई-1749112, दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा |

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 1,43,62,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मेa अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 13-03-2026
18:46:32

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।

4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7. संबंधित जिलाधिकारी ।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से) ।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन ।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 13-03-2026
20:04:50

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- I/105159/2025/computer no. 1952257

**प्रेषक,**

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

**सेवा में,**

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-4** लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2025

**विषयः** आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत ए०एण्डओ०ई० मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8/415/462/आ0ना0यो0/2023, दिनांक 25.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर 2023 एवं 12 अक्टूबर 2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष डैशबोर्ड, गतिविधियों, आई०ई०सी० गतिविधियों तथा ए०एण्डओ०ई० मद हेतु रू० 02.00 करोड़ तथा सीएम फेलोज के मानदेय, प्रशिक्षण तथा एक्पोजर विजिट हेतु रु० 04.00 करोड इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6.00 करोड व्यय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 27.09.2023 में उल्लिखित फण्डिंग की व्यवस्थान्तर्गत परियोजना का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की वायबिलिटी गैप फण्डिंग में तथा अनुदान प्रोत्साहन एवं परियोनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत परियोजना अंश में से पी०एम०यू० की स्थापना, निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर पर डैशबोर्ड, आईईसी गतिविधियों तथा ए० एण्ड ओ०ई० मद के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित की जायेगी, जो कि किसी वित्तीय वर्ष में परियोजना में जारी वित्तीय स्वीकृतियों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सीएम फेलोज के मानदेय, प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर वास्तविक व्यय के अनुसार, योजना के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों के अधिकतम 4 प्रतिशत सीमान्तर्गत धनराशि का प्रयोग किया जायेगा। उक्त धनराशि को आहरित कर राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखा जायेगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के हेतु मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत डैशबोर्ड गतिविधियों, आई०ई०सी० गतिविधियों तथा ए०एण्डओ०ई० मद हेतु रू० 02.00 करोड़ तथा सीएम फेलोज के मानदेय, प्रशिक्षण तथा एक्पोजर विजिट हेतु रु०. 04.00 करोड इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6.00 करोड (रुपये छः करोड मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) आकांक्षी नगर योजना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार उक्त धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्यो को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(5) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथ वित्त विभाग को दी जाय।

(10) आकांक्षी नगर योजना योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून. 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112 दिनांक 04 जून. 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(13) इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत जो भी धनराशि आहरित करके बैंक में रखी गयी है वह पूर्ण धनराशि ब्याज सहित वापस राजकोष में जमा की जाय, तथा भविष्य में यह ध्यान रखा जाय कि आवश्यकता पड़ने पर ही धनराशि का आहरण कर बैंक में रखा जाय, पी0एम0यू0 हेतु निर्गत धनराशि को छोडकर किसी भी परिस्थिति में बैंक में धनराशि पार्क न की जाय।

**4-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,000 (रुपये छह करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-9-52-X-2025-26, दिनांक-07 अगस्त, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
Udai Bhanu Tripathi
Date: 07-08-2025
22:21:19

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सहायक निदेशक, (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
(11) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव